संख्या-22 /2022/आ0मि0-39 /002-96 2099 1700 2019

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष विभाग आयुष अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 मई, 2022

विषयः- उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2021-22 की राज्य वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू0 39325.25 लाख के सापेक्ष अवशेष राज्यांश की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के पत्र संख्या-10/57-एफ/मि0नि0/2022-23, दिनांक 07-04-2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2021-22 की राज्य वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में धनराशि रू0 3,20,00,000 लाख (रुपये तीन करोड़ बीस लाख मात्र) को अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 दिसम्बर , 2021 में उल्लिखित दिशा - निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा । अवमुक्त धनराशि को आहरित कर डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा । उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

4- इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगि ता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।

5- स्वीकृत धनराशि को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ की वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुमोदित वार्षिक कार्य-योजना पर ही व्यय किया जाएगा। किन्ही अन्य कार्य-मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन अनुमन्य् नहीं है।

6- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आयुष मिशन की कार्ययोजना वर्ष 2021-22 के सापेक्ष स्वीकृत किये जा रहे इस अवशेष राज्यांश का आहरण पूर्व में नहीं किया गया है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 033 **लेखा शीर्षक** 2210051030101 राष्ट्रीय आयुष मिशन (के. 60/रा. 40-के.+रा.) **मानक मद** 42 अन्य व्यय (*2*) रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 033 **लेखा शीर्षक** 2210051038901 राष्ट्रीय आयुष मिशन **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-24-X-2022-23-दिनांक:24-5-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-22 /2022/आ0मि0-39(1) /002-96 2099 1700 2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी , सि द्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जी पी ओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली ।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी , आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, यूनानी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी , राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- श्री शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव/ नोडल अधिकारी , बजट, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभा ग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्यायक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभा ग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shas

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।